

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 38/2026 बउनवानी रामगोपाल बनाम अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
गुणसारिया पूत्र पूरणमल निवासी पचीपल्या सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/63

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


तारीख हुकम

25.3.2026

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 16.1.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " दिनांक 28.12.2026 को ग्राम खेरदा की औद्योगिक भूमि खसरा नम्बर 89,191,376 / 120,377 / 120 पर अवैध उपयोग परिवर्तन/प्लानिंग के प्रयासों संबंधी एक शिकायत /पत्र जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया गया था उस पर की गयी कार्यवाही को 5 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना " अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(01)(06)सूकाअ/2025/328 दिनांक 16.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2026 में चाही गयी सूचना कुल एक पृष्ठ की प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक.एफ(1)(06)/सूकाअ/2026/82 दिनांक 23.1.2026 द्वारा अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.1.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.(1)(06)/सूकाअ/2026/82 दिनांक 23.1.2026 अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर